

Date of order or proceeding	<p>राज्य द्वारा ए०जी०पी० उपस्थित।  Order or proceeding with Signature of Presiding Officer  आरोपी रामायणी बाई सहित श्री</p>	Signature of Parties Pleaders w necessa
31/10/17	<p>आर०पी०एस० गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित। बकील पत्र पेश तथा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 44(2) जा०फौ० पेश।</p> <p>आवेदन पत्र सुना गया प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदन विचार उपरांत स्वीकार कर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया।</p> <p>आरोपी की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० पेश। नकल ए०जी०पी० को दी गयी।</p> <p>आवेदन पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदन में आरोपी द्वारा व्यक्त किया है कि वह एक गरीब मजदूर पेशा महिला है उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं उसे जमानत पर छोड़ा जावे।</p> <p>आरोपी रामायणी बाई पर धारा 344 दं०प्र०सं० के तहत विविध प्रकरण कायम है। आरोपी महिला है तथा वह स्वयं उपस्थित हुयी है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की ओर से पेश जमानत आवेदन इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आरोपी प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने बाबत 25 हजार रुपये की सक्षम जमानत एवं समान राशि का बंधपत्र पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।</p> <p>प्रकरण धारा 344 दं०प्र०सं० के जवाब हेतु दिनांक 18/12/2017 को पेश हो।</p>	<p>राम</p>
	<p>(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  अपर सत्र न्यायाधीश  गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)</p>	